समेकित बाल विकास एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि को दिया पोषाहार का टेंडर जारी करने का जिम्मा!!!

5 साल के लिए 1000 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से जारी किए गए इस टेंडर मे हुआ महा-घोटाला!!!

विशेष रिपोर्ट-1

इस घोटाले का मास्टरमाइंड कमलजीत सिंह राणावत,
पहले भी कर चुका है आईसीडीएस मे करोड़ो रुपयो का घोटाला!!!
एसीबी की गिरफ्त मे कई दिनो तक रहा जेल मे!!

चुनी जाने वाली कंपनियों साई फूड,कोटा दाल मिल और जेवीएस फूड्स प्रा.लि के नाम कई राज्यो के खाद्य घोटालो मे शामिल!!!

चहेती कंपनियों को टेंडर दिलवाने के लिए उनके हिसाब से लगाई गयी शर्तें!!!

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद
खाद्य सप्लाई का काम बड़ी कंपनियों को!!!

गर्भवती महिलाओं,नवजात शिशुओ के लिए वरदान साबित होने वाले आँगनबाड़ी केंद्र बने भ्रष्टाचार के गढ़!!!

केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि की, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही बंदरबाँट!!!
टेंडर राशि का 40% तक बँटेगा
राजनैतिक दल,नेताओ,अधिकारियों को दी जाने वाली कमीशनखोरी मे!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 30 मार्च 2022

टेंडर हासिल करने के लिए कंपनियों ने की लोबिंग,पूल बनाकर कर रहे टेंडर हासिल!!!

मार्केट से 40% अधिक रख रखी है,उत्पादो की दर!!

आनन-फानन मे महज 13 दिन मे इतने बड़े टेंडर की सारी प्रक्रियाँए की गयी पूरी!!!

जबकि 60 से अधिक दिन लगते है ऐसे बड़े टेंडरो मे!!!

क्वालिटी टेस्टिंग का कोई मेकेनिज़्म नहीं,
भाग लेने वाली कंपनियों के प्लांटों का निरीक्षण किए बगैर
महज विभागो द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट्स ही जांच का आधार!!!

राज्य मे फिर घटिया क्वालिटी के खाद्य उत्पाद वितरित होने की प्रबल आशंका!!!

तीन कंपनियों मे 40%,38% और 22% के हिसाब से बँटेगा पूरा काम!!!

सबसे बड़ा सवाल?क्या केंद्र सरकार करवाएगी,
अपने फंड के दुरुपयोग की सीबीआई या केग से गहनता से जांच?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सबसे पहले फ़र्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया इस महा घोटाले को

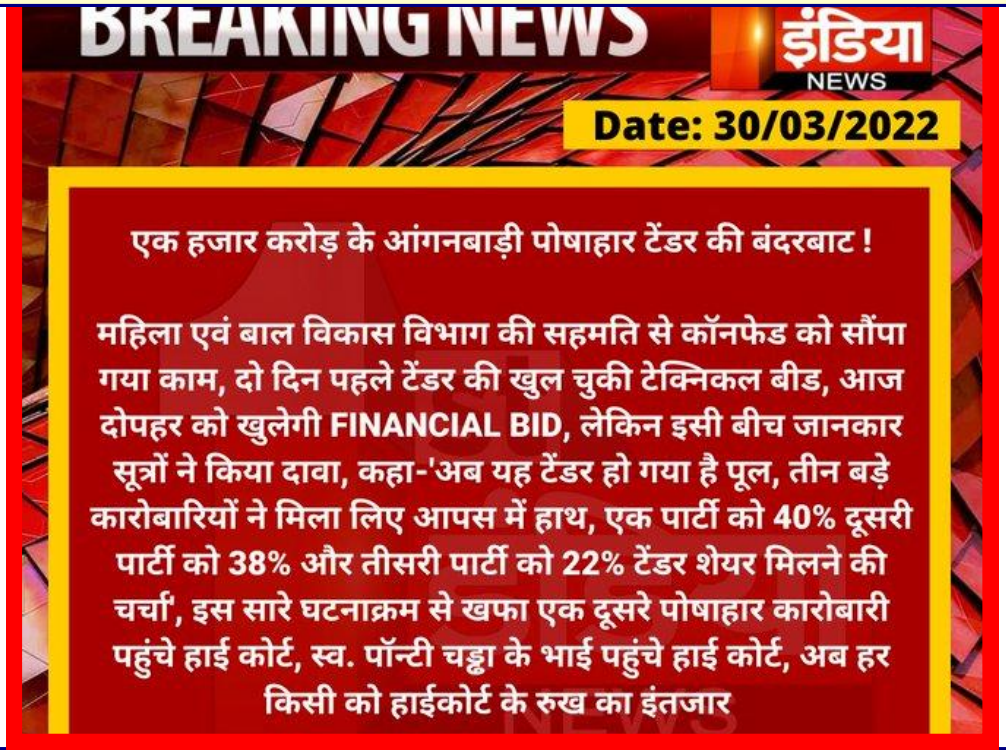

खाद्य उत्पादनकर्ताओ से तैयार खाने(पोषाहार) की सीधे राजस्थान के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रो तक डोर स्टेप डिलेवरी का 5 साल के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ का काम चर्चा मे|महिला एवम बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार ने सौंपा कोनफेड को|

राजस्थान पत्रिका 14 जयपुर, बुधवार 16 मार्च, 2022

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

227 द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
Tel & Fax: 0141-2740095, 2740098, 2741679
E-mail: confedmd@gmail.com

No.: CONFED/CS/8922 Date : 15.03.2022

NOTICE INVITING BID

CONFED, Jaipur invites an Open Competitive Bid for Procurement of Processe Food (Nurtition Food) from Manufacturers of Supplementary Nurtition Food and Door Step Delivery to all Anganwadi Centers in Rajasthan. Value of Tender Rs. 1000 Cr. (One Thousand Crore) approx. from MSME Registered in Rajasthan up to 25.03.2022 at 6.00 PM. For details visit: http://sppp.rajasthan.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in.
UBN: CCF2122GLOB00018

Managing Director

केंद्र सरकार द्वारा पोषित आईसीडीएस योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य उत्पादनकर्ताओ से तैयार खाने(पोषाहार) की सीधे राजस्थान के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रो तक डोर स्टेप डिलेवरी का 5 साल के लिए 1000 करोड़ प्रति वर्ष का काम राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि (कोनफेड) को सौंपा गया|इस प्रकार इस टेंडर की कुल लागत 5000 करोड़ या इससे भी अधिक होने की संभावना है|

आरटीपीपी एक्ट को धत्ता बताते हुए,बिना प्री-बीड मीटिंग के महज 13 दिन मे टेंडर की सभी प्रक्रिया पूर्ण|

दिनांक 16/03/2022 को राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित निविदा के अनुसार, इस निविदा को 15/03/2022 को प्रकाशित किया गया,16/03/2022 को बीड को डाउनलोड करने एवं 25/03/2022 तक इस बीड की तकनीकी और वित्तीय बीड जमा करवाने हेतु दिन नियत किए गए|इसी के साथ 28/03/2022 को तकनीकी बीड खोलने की दिनांक नियत कर दी गयी|इस प्रकार कोनफेड द्वारा आनन-फानन मे महज 13 दिन मे पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गयी जबकि ऐसी बड़ी निविदाओ मे अमूमन 60 दिन से अधिक का समय लगता है|अमूमन ऐसे बड़े टेंडरो मे प्री-बीड मीटिंग का प्रावधान भी होता है लेकिन इस टेंडर मे इस तरह की किसी मीटिंग के लिए समय तय नहीं किया गया|

Sr.No.	Subject	Date	Time
1	e-Publishing Date	15-03-2022	6:00 PM
2	Document Download & Bid Submission Start Date	16-03-2022	11:00 AM
3	Technical and Financial Bid Submission End Date	25-03-2022	6:00 PM
4	Submission of Demand Draft/Banker Cheque/RTGS confirmation of Bid Cost including Processing Fees and Security in Physical Form	28-03-2022	11:00 AM to 3:00 PM
5	Technical Bid Opening Date	28-03-2022	4:00 PM

चहेती कंपनियों को टेंडर दिलवाने के लिए उनके हिसाब से लगाई गयी मनमर्जी की शर्ते|क्वालिटी टेस्टिंग का कोई मेकेनिज़्म और ना ही कंपनियो के प्लांट का किसी अधिकारी ने किया निरीक्षण|

इस पूरे खेल मे 5000 करोड़ की बंदरबाँट के लिए तीन कंपनियाँ पहले से ही उच्च स्तर पर लोबिंग कर रही थी|जिसका परिणाम यह रहा कि इन तीनों कंपनियों को टेंडर मे क्वालिफ़ाई करवाने के लिए टेंडर की शर्ते उनके अनुरूप ही रखी गयी|इतने बड़े टेंडर के लिए विभाग द्वारा एमएसएमई का अड़ंगा लगा कर अन्य कंपनियों को इस टेंडर से बाहर कर दिया गया|तीनों कंपनियों को टेंडर का लाभ दिलवाने के लिए कोनफेड द्वारा टेक्निकल बीड मे सफल कंपनियों मे कार्य बांटने की शर्त लगाई गयी|इतना ही नहीं इस टेंडर मे क्वालिटी टेस्टिंग का कोई मेकेनिज़्म नहीं रखा गया और ना ही कंपनियों के प्लांट का किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया,महज कंपनियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को ही उनके प्लांट की क्षमता मान लिया गया|ऐसे मे राज्य मे घटिया क्वालिटी के खाद्य उत्पादो के वितरण की आशंका जताई जा रही है|सूत्रो के अनुसार स्थानीय जिला उदद्योग केंद्र के बड़े अधिकारी द्वारा गड़बड़ी की आशंका के चलते केपेसिटी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया|

किन कंपनियों को कितना मिलेगा काम?

राजस्थान सरकार की अधिकृत वैबसाइट के अनुसार इस टेंडर मे 5 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया,जिनमे आशापूर्णा लोजिस्टिक,भास्कर इंडस्ट्रीज,जेवीएस फूड्स प्रा.लि.,कोटा दाल मिल,साई ट्रेडिंग प्रमुख है|इन पांचों कंपनियों मे से आशापूर्णा लोजिस्टिक और भास्कर इंडस्ट्रीज तकनीकी बीड मे बाहर हो गयी है|सूत्रों के अनुसार बची तीनों कंपनियों (1)जेवीएस फूड्स प्रा.लि.,(2)कोटा दाल मिल,(3)साई ट्रेडिंग मे क्रमश: 22%38% और 40% के हिसाब के काम बांटा जाएगा|सूत्रो के अनुसार इस टेंडर मे अन्य दो कंपनियो क्रमश: इंदोर की केसी मल जैन कंपनी और उदयपुर की मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा. लि. द्वारा भी भाग लिया जाना था लेकिन पहले से ही तय हो चुके इस टेंडर मे उनकी दाल नहीं गलने से इन कंपनियो द्वारा भाग नहीं लिया गया|सूत्रो के अनुसार इंदोर की केसी मल जैन कंपनी का हिस्सा साई ट्रेडिंग के साथ ही फिक्स कर दिया गया है|जिसके तहत साई ट्रेडिंग के 40% मे 10% हिस्सा केसी मल जैन कंपनी का होगा|इतना ही नहीं इस टेंडर मे भाग नहीं लेने की टीस के चलते, उदयपुर की मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा. लि. उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बना चुकी है|

The evaluation of all Technical Bids received online by stipulated time and date will be done as per procedure prescribed in the Bid and on the basis of qualifications and eligibility criteria mentioned in the bid document. The Financial Bid of only successful bidders in Technical evaluation will be opened and evaluation would be made strictly in accordance with the evaluation criteria prescribed under the Bid Document and the successful Bidder(s) in accordance with the terms & conditions and evaluation criteria prescribed herein below will be invited for execution of Agreement for manufacturing and supply of Processed Food (Nutrition Food) the specific period of time mentioned in the Bid (initially the Agreement will be executed for a period of 05 years from the date of execution of Agreement, subject to extension on sole discretion of RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI UPBHOKTA SANGH LTD (CONFED) on the basis of evaluation of performance by the Bidder). The procurement will be done strictly in accordance with the parameters prescribed under the Bid Document. The RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI UPBHOKTA SANGH LTD (CONFED) reserves the right to distribute the quantity among successful Bidders for smooth functioning of scheme subject to acceptance of L-1 price in accordance with the terms & conditions specified in the bidding document. Under condition no. 17

कोनफेड द्वारा 5 साल के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ के लिए जारी किया गया टेंडर,कोनफेड द्वारा एल1 कंपनियों मे कार्य बांटने की शर्त लगाई गयी

Bids List

S.No	Bid Number	Bidder Name	Submitted Date	Status	Remarks	Status Updated On
1	2187885	Ashapurna Logistics	25-Mar-2022 01:27 PM	Rejected-Fee/PreQual/Technical	No EMD or Fee received	28-Mar-2022 05:03 PM
2	2188066	BHASKAR INDUSTRIES	25-Mar-2022 05:29 PM	Rejected-Fee/PreQual/Technical	No EMD or Fee received	28-Mar-2022 05:03 PM
3	2185368	JVS FOODS PRIVATE LIMITED	25-Mar-2022 02:09 PM	Accepted-Fee/PreQual/Technical		28-Mar-2022 05:03 PM
4	2176296	M/s Kota Dall Mill	25-Mar-2022 02:43 PM	Accepted-Fee/PreQual/Technical		28-Mar-2022 05:03 PM
5	2186755	SAI TRADING	25-Mar-2022 02:41 PM	Accepted-Fee/PreQual/Technical		28-Mar-2022 05:03 PM

तकनीकी बीड मे शामिल कंपनियों का ब्यौरा

कौन है मास्टरमाइंड कमलजीत सिंह राणावत??

आपको बता दें कि इस घोटाले मे मास्टरमाइंड कमलजीत सिंह राणावत 2018 मे इसी विभाग महिला एवं बाल विकास की इसी योजना आईसीडीएस मे करोड़ो रुपयो का घोटाला कर चुका है और एसीबी की गिरफ्त मे भी रह चुका है|आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फ्लोर डेस्क की सप्लाई का टेंडर जारी करने के आरोप में एसीबी ने इसे इसके एक अन्य साथी सीके जोशी के साथ गिरफ्तार किया था|गिरफ्तार दलालों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अफसरों के सामने चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे|आरोपी कमलजीत सिंह राणावत और सीके जोशी ने पूछताछ में महिला बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मेडिकल और बिजली निगम के कई अफसर कर्मचारियों को रिश्वत देकर टेंडर दिलाने और बिलों का भुगतान कराने की बात कबूली थी|आरोपी कमलजीत राणावत के ऑफिस पर एसीबी को एक डायरी और कुछ दस्तावेज मिले थे| डायरी में विभिन्न विभागों करीब 115 से ज्यादा अफसर व कर्मचारियों के नाम थे, जिनको दिसंबर 2017 तक करोड़ों रुपए की रिश्वत बांटी गई थी। आरोपियों के पास 39 रबड़ मोहर, पंचायत समितियों के लेटरपैड, विभिन्न विभागों और माडा परियोजना के तहत संचालित हॉस्टल व स्कूलों में राशन सामग्री के वितरण के दस्तावेज मिले थे|एसीबी ने टेंडर से संबंधित दस्तावेजों की जांच की तो सामने आया कि आरोपियों ने आईसीडीएस, उद्योग और श्रम विभाग के अफसरों से मिलकर टेक्नो क्राफ्ट कंपनी को 20 करोड़ रु. का टेंडर जारी करवा दिया|

दलालों से मिल अफसर कर रहे थे टेण्डरों में घोटाला, धरे गए दो दलाल

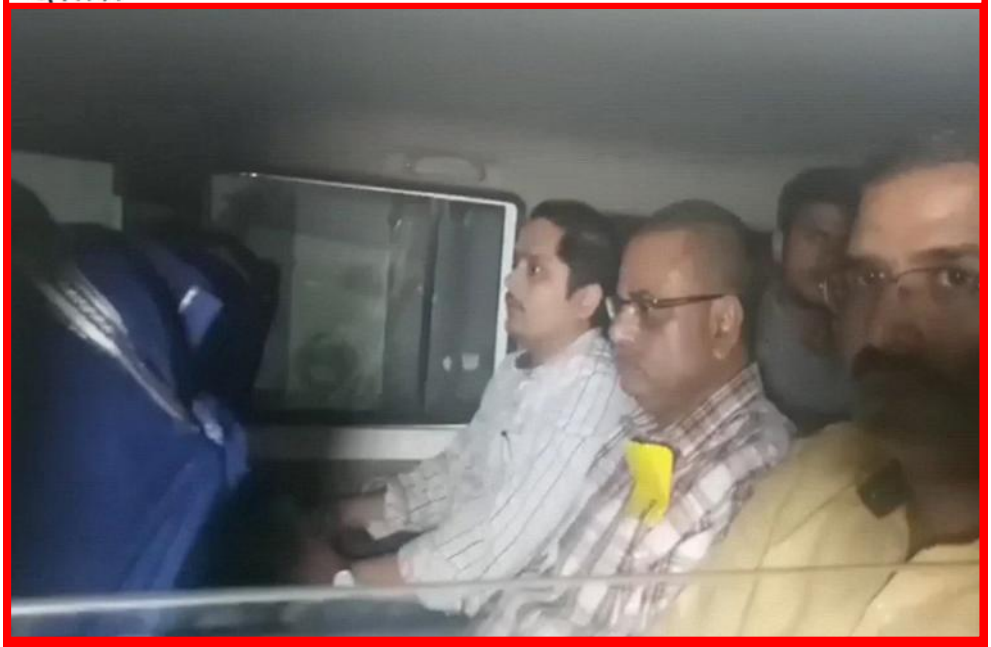

जयपुर। राजस्थान के बाल विकास परियोजना के तहत होने वाले करोड़ों अरबों रुपए के कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा गुरुवार को एसीबी ने किया है। घोटाले को लेकर एसीबी ने दो शातिर दलालों को भी धरा है, जो अफसरों से मिलीभगत करके दलालों की चहेती कंपनियों को काम दिलवाते थे और इसके लिए टेण्डरों में भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जाती थी। एसीबी ने इस घोटाले में लिप्त चार अफसरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, साथ ही ओर भी कई बड़े अफसरों के इस मामले में लिप्तता सामने आ रही है।

जन-प्रहरी एक्सप्रेस पोर्टल पर प्रकाशित खबर से साभार

दलाल चिरंजीवी कुमार जोशी और कमलजीत सिंह राणावत के मोबाइल सर्विलांस पर ले रखे थे एसीबी ने। इन दलालों ने अफसरों के लिए दो जनवरी को जयपुर में एक बड़ी पार्टी भी रखी थी, जिनमें एय्याशी के सारे साधन उपलब्ध कराए गए थे। एसीबी ने दोनो दलालों को घर पर दबिश देकर दबोचा। दलाल जोशी के घर से लाखों रुपए की विदेशी ब्रांड की शराबें की बोतलें मिली है। एसीबी एडीजी आलोक त्रिपाठी और आईजी वीके सिंह ने बताया कि दोनों दलाल अफसरों से मिलीभगत करके बाल विकास परियोजना के टेण्डरों में भारी हेराफेरी करते थे। इस शिकायत सामने आने पर एसीबी ने दोनों पर नजर रखना शुरु कर दिया तो कई खुलासे सामने आए।

दोनों दलाल लाइजिंग के काम में लगे हुए थे। वे चहेती कंपनियों को काम दिलाते थे और इसके लिए लाखों-करोड़ों रुपए की बंदरबांट करते थे। वे मनमाफिक दरों पर टेण्डर दिलाते थे। दिखावे के तौर पर दोनों ने कंपनियां बना रखी थी, लेकिन मैन काम कंपनियों को काम दिलाना ही था। आईजी वीके सिंह ने कहा कि जल्द ही इस मामले में कई और भी खुलासे होंगे। एसीबी ने सीडीपीओ सोमेश्वर देवड़ा, एएफ अस्मिता सरीन, संयुक्त निदेशक(उद्योग) पी.आर. शर्मा और भगवानदास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में बड़ा गिरोह सक्रिय है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से विभाग में हडकम्प मचा हुआ है और कई अफसर नदारद हो गए, साथ ही लाइजिंग में लगे लोग भी भूमिगत हो गए हैं।

चुनी जाने वाली कंपनियों के नाम कई राज्यो के खाद्य घोटालो मे शामिल!!!,सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बड़ी कंपनियो को आईसीडीएस के ठेके|

टाइम्स ऑफ इंडिया मे प्रकाशित खबरों के अनुसार,वर्ष 2004 मे सुप्रीम कोर्ट ने आईसीडीएस यानि समेकित बाल विकास योजना में निजी ठेकेदारों को ठेका देने से रोक लगा दी थी|लेकिन इस आदेश के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने 2009 में नियम बदल कर सामुदायिक संगठनों और महिला संस्थानों को ठेका लेने की इजाजत दे दी| इस नियम के मुताबिक अगर किसी कंपनी के बोर्ड में महिला सदस्य हो तो उसे यह ठेका मिल सकता है|इसी का फायदा उठाकर कंपनियों ने फर्जी तरीके से महिला मंडल बनाए और गरीबों को बेहद ही खराब क्वालिटी के राशन परोसे|इनकी क्वालिटी इतनी खराब होती थी कि जानवरों तक को नहीं खिलाया जा सकता है|

यह घोटाला उस समय सामने आया जब खाद्य सुरक्षा पर चल रही सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी| रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को चलाने के लिए कई निजी कंपनियों ने फर्जी महिला मंडल बना कर 1000 करोड़ की बाल विकास योजना पर कब्जा कर लिया| इन महिला मंडलों का नाम वेंकटेश्वरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, महालक्ष्मी महिला ग्रामोद्योग और महाराष्ट्र महिला सहकारी गृह उद्योग संस्था थे| इसके अलावा इस मामले में जिन पांच निजी कंपनियों का नाम आया, वे थी स्वप्निल एग्रो, पारस एग्रो, इडो अलाइड प्रोटीन फूड, **साई फूड एंड साई फूड प्रोडक्ट्स और कोटा दाल मिल|**

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Maharashtra food scam: Private companies eat up Rs 1,000cr meant for poor

TNN | Nov 3, 2012, 01.12 AM IST

NEW DELHI: Private companies have hijacked the government's flagship scheme to provide food to poor children and their mothers, the Integrated Child Development Scheme (ICDS), with contractors in Maharashtra alone controlling Rs 1,000 crore worth of supplies in contravention of Supreme Court orders, a report of the SC commissioners office has said.
The SC orders bar contractors from supplying rations under the scheme. It only permits village communities, self-help groups and mahila mandals to buy grains and prepare food for children.

The commissioners' report, submitted to the court on Friday, warned that the contractor-corporate lobby had a firm grip over ICDS rations supply business, worth Rs 8,000 crore, in several states. It specifically referred to Karnataka, Uttar Pradesh and

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Integrated Child Development Scheme purchases turn golden goose for babus

TNN | Nov 7, 2012, 05.47 AM IST

JABALPUR: Did Madhya Pradesh government ignore the writing on the wall and overlooked a Rs 600 crore scam in the implementation of centrally funded Integrated Child Development Scheme (ICDS)? The probability seems high going by the records, provided in response to a RTI application, which show how the ambitious scheme, meant to provide nutrients to children from 6 months to 6 years and pregnant mothers, may have turned a golden goose to profit a powerful lobby of corrupt babus and their favored business houses despite the apex court's explicit directions to keep private players out.

The biggest pointer to the nexus came in October 2008 in form of a terse warning by the Supreme Court commissioner in October 2008. Para four of the status report submitted to the MP government by special commissioner, Supreme Court, Dr NC Saxena, clearly noted "current practice of purchasing from the MP Agro Industries Corporation Limited is merely an indirect purchase from contractors, which is a violation of the courts order."

Summarizing the discussions at the meeting between advisor to the Supreme Court commissioner Mihir Shah and group of MP government officers led by the then principal secretary child and women development Tinoo Joshi, currently under suspension after she was found to have assets disproportionate to her known sources of income, Saxena also pointed out a host of grey areas in the implementation of ICDS. The rebuff apparently went unheeded by the then chief secretary RC Sahni.

Social activist PG Najpandey narrated how cleverly and cautiously bureaucrats circumvented the court's direction to confine the job of supply and distribution to village communities and women's self group groups and benefit private contractors. First the department of child and women development signed a MoU with the MPAICL for the supply of energy food under the scheme in June 2008.

टाइम्स ऑफ इंडिया मे प्रकाशित खबरों से साभार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में भी कॉन्ट्रैक्टर-कॉरपोरेट लॉबी बनाकर करोडों रुपए की इस योजना पर कब्जा जमा लिया गया है| रिपोर्ट में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,राजस्थान और मेघालय का भी उल्लेख था|

इसी प्रकार मध्यप्रदेश मे भी इसी तरह का घोटाला सामने आया जिसमे **जेवीएस फूड्स प्रा.लि और मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा. लि.** के नाम सामने आए|रिपोर्ट मे यह भी बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा **जेवीएस फूड्स प्रा.लि** के विरुद्ध 2005 मे सड़ा-गला और अखाद्य सामग्री वितरण के विरुद्ध एफ़आईआर भी दर्ज करवायी थी|

कोनफेड लेगा 2.5% कमीशन,साथ ही 40% तक बँटेगा राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं मे|

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टेंडर मे कोनफेड आधिकारिक रूप से कंपनियों को जारी बिल मे से 2.5% अपने कमीशन के रूप मे लेगा|जबकि इस टेंडर की बंदरबांट मे शामिल दलाल के दावे के अनुसार कुल टेंडर राशि का 12.5% एक राजनैतिक दल को चंदे के रूप मे,2.5% पूर्व शिक्षा मंत्री,1.5% कोओपरेटिव के मंत्री और 3.5% कमीशन एक महिला मंत्री की जेब मे जाएगा|साथ ही करीब 20% का कमीशन दलालो,इस टेंडर मे शामिल विभागो के बड़े और छोटे अधिकारियों की ज़ेबो मे जाएगा|ऐसे मे इस टेंडर का क्या हश्र होगा उसका भगवान ही मालिक होगा|मंत्रियो,अधिकारियों और राजनैतिक दल को दिये जाने वाले कमीशन की बात अफवाह है या कड़वी सच्चाई यह तो अब जांच एजेंसियां ही बता सकती है|वैसे यदि इस मामले मे लिप्त दलाल का ट्रेक रेकॉर्ड देखा जाए तो इस कड़वी सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता|

जवाब मांगते सवाल?

1. इस टेंडर की राशि की बंदरबांट मे कौन कौन नेता,अधिकारी,कंपनी और दलाल शामिल है?
2. आखिर क्यूँ वित्त,उदद्योग,महिला एवं बाल विकास विभाग और सहकारिता विभाग के मंत्री और बड़े अधिकारी इस मामले मे मूक दर्शक बने बैठे है?
3. आखिर क्यूँ जल्दबाज़ी मे इस टेंडर को अंजाम दिया गया?क्या इस टेंडर के लिए आरटीपीपी एक्ट की धाराओ का पूर्णता और कढ़ाई से पालन किया गया है?
4. कौन है इस टेंडर का मास्टरमाइंड कमलजीत सिंह राणावत?क्या यह सही है कि उसके द्वारा ही नेताओ,अधिकारियों से साँठ-गांठ कर,इस मामले मे चहेती कंपनियों को टेंडर जारी करवाया जा रहा है?

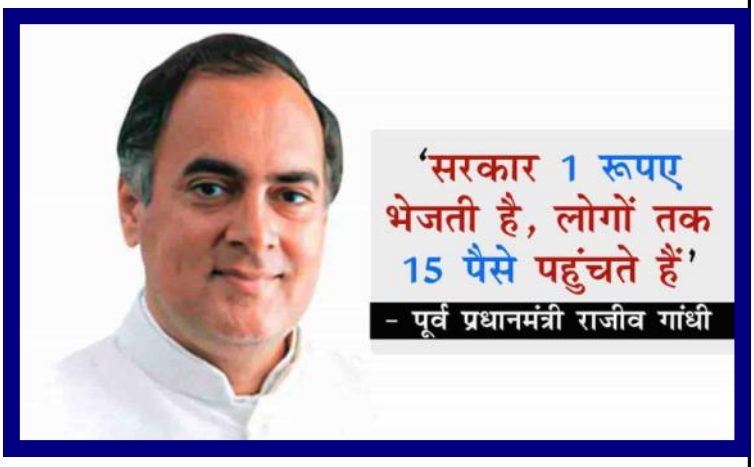

5. क्या है इस टेंडर मे चयनित होने वाली कंपनियों का ट्रेक रिकॉर्ड?इन कंपनियों के विरुद्ध किन किन राज्यो मे अनियमितताओ/मिलीभगत/भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है?
6. क्या जेवीएस फूड्स प्रा.लि.,कोटा दाल मिल और साई ट्रेडिंग कंपनियों की पुरानी करतूतों की जानकारी राज्य सरकार और इसके जिम्मेदार विभागो को नहीं है?
7. क्या इस टेंडर मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशो की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है?
8. क्या केंद्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी से करवाएगी?
9. क्या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा किया गया यह कथन कि **"केंद्र से जारी 1रुपए मे से मात्र 15 पैसे ही नीचे पहुंचता है"** इस टेंडर को दृष्टिगत रखते हुए सही है?